लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021/ 1 पौष, 1943 (शक)

संख्या 149

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों (21 और 22 दिसंबर, 2021 के लिए सूचीबद्ध), जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखण्ड को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवयकता के बारे में ।

(2) श्री सुदर्शन भगत द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाए जाने तथा उन्हें मिल रहे आरक्षण के लाभ को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड के पूर्व सिंहभूम जिले में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूजल स्तर में आ रही गिरावट के बारे में ।

(5) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 257सी पर एक भूमिगत पारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धानेरा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा सन्नति को विश्व विरासत के रूप में विकसित किए जाने के बारे में ।

(8) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पेट्रो कैमिकल परिसर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु भाषा सूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा डिजिटल लेन-देनों पर अधिरोपित शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री संजय सेठ द्वारा झारखंड से विभिन्न राज्यों में हो रही बाल-तस्करी को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भगवान बुद्ध के अस्थिकलश के स्थान में परिवर्तन किए जाने के बारे में ।

(13) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा मुम्बई में 26/11 हमले की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(14) श्री के. षणमुगसुंदरम द्वारा 'अनइमलई रोड' रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन कर हॉल्ट स्टेशन से क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाने तथा वहां सभी यात्री एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में ।

(15) श्री एम. धनुष कुमार द्वारा विरुद्धनगर जिले के वतिरारुप्पू और थेनी जिले के बीच सड़क सम्पर्क के बारे में ।

(16) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर सबमर्सिबल वाटर पम्प लगाए जाने के बारे में ।

(17) श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मामलों के बारे में ।

(18) श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों को जलमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(19) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में ।

(20) श्री एम. सेल्वराज द्वारा मेडिकल कॉलेजों में नॉन मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम सीमा को कम किए जाने संबंधी नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा सोलर चर्खे से निर्मित धागे को 'खादी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(22) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को जोड़ने और जलाशय योजनाओं के बारे में ।

(23) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नन्दुरबार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(24) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के बारगढ़ जिले में सम्बलपुरी वस्त्रों के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(25) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार में सिवान से गरखा तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(26) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा उपकरण निर्माण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(27) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा बैंको द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों में लोक सभा सदस्यों की भागीदारी के बारे में ।

(28) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की रोजगार संभावना के बारे में।

(29) श्री नितेश गंगा देब द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन के क्षेत्राधिकार में कुछ रेल खंडों को शामिल किए के बारे में ।

(30) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा अजमेर-चंडीगढ़ राजमार्ग या किशनगढ़-हनुमानगढ़ बृहत् राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित और घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(31) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(32) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा ओडिशा में तटीय नहर को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(33) श्री उत्तम कुमार नालामाडा रेड्डी द्वारा तेलंगाना में जनजातीयों के लिए आरक्षण के बारे में ।

(34) श्री मद्दीला गुरूमूर्ति द्वारा आन्ध्र प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के बारे में।

(35) श्री मारगनी भरत द्वारा यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट दिए जाने के बारे में ।

(36) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आशा कर्मियों की वित्तीय सुरक्षा के बारे में ।

(37) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फेरो एलॉय परियोजना की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(38) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(39) श्री जयदेव गल्ला द्वारा ओसीआई कार्डहोल्डर्स से संबंधित सरकारी अधिसूचना के बारे में।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

3. राष्ट्रीय गीत

. राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।